राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 7694/2023

1. हीरा देवी पत्नी चेना राम, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी जावसिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. चेना राम पुत्र जगदीश राम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जावसिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फ़त लोक अभियोजक
2. निर्मला पत्नी दिनेश कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, जाति सुथार, निवासी जांगिड़ कृषि भूमि, ग्राम जावसिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री जे.के. सुथार
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, उप.रा .अ.
		श्री रविंद्र सिंह, स.रा.अ.
		श्री टी.आर.एस. सोडा

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

11/02/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 504, 506, और 120-बी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-ई के तहत अपराधों के किए जाने का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी संख्या 24/2023 पुलिस थाना पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण के पंजीकरण को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है।

2. कार्यवाही की शुरुआत में ही, विद्वान लोक अभियोजक ने संबंधित थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.02.2025 की एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी। उक्त रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि, व्यापक जाँच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 504, 506, और 120-बी, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ई के तहत लगाए गए आरोपों को निराधार पाया गया। हालाँकि, जाँच अभिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता, हीरा देवी, केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोषी है। रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया है और उचित रूप से विचार किया गया है।

3. चूंकि जाँच अभिकरण ने स्वयं भारतीय दंड संहिता की धाराओं 504, 506, और 120-बी तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ई को लागू करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं पाई है, इसलिए इस न्यायालय के लिए इन आरोपों की वैधता में गहराई से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के हित में, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियोजन अभिकरण कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध इन अपराधों को पुनर्जीवित या पुन:प्रस्तुत नहीं करेगा।

4. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री की गहन जाँच की है। इस मोड़ पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के दायरे और अनुप्रयोग पर विचार करना अनिवार्य है, जो आपराधिक अतिचार के लिए निम्नानुसार दंड निर्धारित करती है:

"जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है, उसे तीन माह तक बढ़ सकने वाले किसी भी प्रकार के कारावास से, या पाँच सौ रुपये तक बढ़ सकने वाले जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

5. इस प्रावधान का सार अपराध करने, भयभीत करने, अपमानित करने या वैध कब्जेदार को परेशान करने के इरादे से दूसरे की संपत्ति पर अवैध प्रवेश के कृत्य

में निहित है। यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि, आपराधिक अतिचार के अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि शिकायतकर्ता विवादित संपत्ति के अनन्य कब्जे में था और यह कि अभियुक्त ने वैध औचित्य के बिना, हानि, भय या परेशानी पैदा करने के आवश्यक इरादे से जबरदस्ती प्रवेश किया। इसके अलावा, यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि जहाँ कब्जे का प्रश्न स्वयं विवादित है या जहाँ स्वामित्व या कब्जे के संबंध में सिविल मुकदमा लंबित है, वहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 का आह्वान अत्यधिक विवादास्पद हो जाता है। अभियोजन को यह प्रदर्शित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि संपत्ति में प्रवेश आपराधिक इरादे के साथ किया गया था। विवादित संपत्ति पर मात्र भौतिक उपस्थिति, इस तरह के इरादे से रहित होने पर, इस प्रावधान के तहत दंडात्मक परिणामों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

6. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, जिसमें याचिकाकर्ता हीरा देवी द्वारा दायर याचिका में राजस्व मंडल द्वारा पारित दिनांक 31.01.2019 का आदेश भी शामिल है, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि पक्षों के बीच सिविल विवाद विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं। राजस्व मंडल ने स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को किसी भी तरह से संपत्ति का पराया (हस्तांतरण) या अंतरण करने से रोक दिया है। विचाराधीन भूमि एक खुली भूमि है, और इसके स्वामित्व अधिकारों के संबंध में मुकदमा सक्षम अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से चल रहा है।

7. सद्भावपूर्ण विवादों के अधीन खुली भूमि से जुड़े मामलों में, केवल भूमि पर कदम रखने का कार्य, स्वयं में, आपराधिक अतिचार का अपराध गठित नहीं कर सकता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित न हो जाए कि ऐसा प्रवेश अपराध करने, भयभीत करने, अपमानित करने या वैध कब्जेदार को परेशान करने के स्पष्ट इरादे के साथ किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 में निहित आपराधिक अतिचार की परिभाषा, ऐसे इरादे को सिद्ध करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

8. वर्तमान मामले में, हालाँकि जाँच अभिकरण ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 447 को लागू करने की मांग की है, ऐसा करने का एकमात्र आधार विवादित कृषि भूमि पर याचिकाकर्ता की भौतिक उपस्थिति प्रतीत होता है। जाँच रिपोर्ट इस बात पर स्पष्ट रूप से चुप है कि क्या ऐसा प्रवेश शिकायतकर्ता, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी दिनेश कुमार की ओर निर्देशित किसी आपराधिक इरादे के साथ था। इस तरह की सामग्री के अभाव में, भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत अभियोजन के मामले की बुनियाद ही अस्थिर हो जाती है।

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इस सुविचारित राय का हूँ कि, यह प्रदर्शित करने के लिए ठोस साक्ष्य के अभाव में कि विवादित संपत्ति पर याचिकाकर्ता का प्रवेश भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत आवश्यक किसी भी आपराधिक इरादे से प्रेरित था, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पूरी तरह से अनुचित होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में जहाँ स्वामित्व अधिकारों और कब्जे के संबंध में सद्भावपूर्ण विवाद पहले से ही सक्षम सिविल न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, आपराधिक कानून के आह्वान को उत्पीड़न के एक साधन के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग और सिविल न्यायनिर्णयन के क्षेत्र पर अस्वीकार्य अतिक्रमण के समान होगा।

10. कानून का स्थापित सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि जहाँ पक्षों के बीच सिविल मुकदमा लंबित है, वहाँ एक पक्ष को आपराधिक आरोपों की आड़ में अनावश्यक दबाव डालने या सिविल विवादों को निपटाने के लिए आपराधिक मशीनरी को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग उन मामलों को हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति के हैं, खासकर जब कब्जे का प्रश्न सिविल न्यायालय के समक्ष अनसुलझा रहता है।

11. उपरोक्त के आलोक में, यह विविध याचिका अनुमति दिए जाने योग्य है। तदनुसार, पुलिस थाना पीपाड़ शहर, जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्राथमिकी संख्या 24/2023, और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाहियों को

एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चालीस (40) दिनों की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12. परिणामस्वरूप, स्थगन याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति

24-ममता/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़